(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड–3, उपखण्ड–ii में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 29 /2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 24 दिसम्बर, 2015

विषयः प्याज की निर्यात नीति– प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) को हटाना।

सा0 आ0 (अ) विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित, यथा संशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं0 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा तत्काल प्रभाव से प्याज के निर्यात से संबंधित दिनांक 12.03.2014 की अधिसूचना सं0 73 (आर ई–2013)/2009–14 के साथ पठित दिनांक 11.12.2015 की अधिसूचना सं0 26/2015–20 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. दिनांक 11.12.2015 की अधिसूचना सं0 26 के पैरा 2 को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

"निर्यात और आयात मदों के आई टी सी(एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 7 की क्रम सं0 51 और 52 के मद विवरण के लिए प्याज का निर्यात किसी न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के बगैर अनुमत होगा।"

3. इस अधिसूचना का प्रभावः

उपरोक्त यथा वर्णित सभी किस्मों की प्याज न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) के बगैर निर्यात की जा सकती हैं।

( अनूप वधावन )
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/180/922/एएम08/पीसी–3/निर्यात सैल से जारी)